न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 98/2021
GCMS NO. : 2021/218

–:: वादीगण :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

1. कचराराम पुत्र मदनलाल
2. दिनेश पुत्र मदनलाल
3. पेमाराम पुत्र चुन्नीलाल
4. बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल
5. बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल
6. लालाराम पुत्र चुन्नीलाल
7. सोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल
   जाति– माली, निवासी–जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

1. अणचीदेवी पत्नी जयराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लादूराम
3. कालूराम पुत्र भानाराम फौत के
   का.मु.3/1. खेमाराम पुत्र कालूराम
   3/2. दोलाराम पुत्र कालूराम
   3/3 बाबूलाल पुत्र कालूराम
   3/4 भंवराई पुत्र कालूराम
   3/5 तुलछाई पुत्री कालूराम
4. गोगीदेवी पत्नी लादूराम
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र लादूराम
6. जोगाराम पुत्र भानाराम
7. ढगलाराम पुत्र प्रभुराम
8. मनीषा पुत्री जयराम
9. रमेश पुत्र जयराम
10. बिडदराम पुत्र भानाराम फौत के का.मु
    10/1. माडकी देवी बेवा बिड़दराम
    10/2. किशन पुत्र बिड़दराम
    10/3. भीयाराम पुत्र बिड़दराम
    10/4. केलकी पुत्री बिड़दराम
    10/5. कमली पुत्री बिड़दराम
11. भीकाराम पुत्र प्रभूराम
12. रामलाल पुत्र लादूराम जाति सीरवी निवासी बेरा बावड़ी ग्राम हुनावासकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0
13. राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर तहसीलदाज जैतारण
14. पटवारी महोदय, पटवारी हल्का जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः. 11.08.2021**

उपस्थितः–

1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 28/04/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भमि खसरा नम्बर 676 रकबा 8.3608 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 676/2 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

2.1853 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 683 रकबा 10.6594 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 21.2702 हैक्टेयर आयी हुई है । जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीग के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक / मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है तथा वादीगण के हक हिस्से व बंट की भूमि पर जबरदस्ती पटिया रोपकर तारबन्दी कर देते है एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नहीं ले सकते तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकते एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा समस्याओं का समना करना पड़ता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 25/07/2021 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देंगे एवं वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादीगण अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो तथा खातेदारी कबजे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जिससे वादीगण खर्चे से जेर बार हो जायेगे। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण खातेदार होने से एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधिकारी है तथा मौके पर वादीगण का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एक दृष्टिकोण प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हरदृष्टिकोण से वादीगण के पक्ष में है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक मंसुबो मे सफल हो जाते है तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी। प्रतिवादीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

13 तहसीलदार साहब , जैतारण एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 पटवारी महोदय , पटवार हल्का जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाडे के बाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 25/07/2021 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण के हक हिस्से व बट की भूमि में पटिया रोपकर तारबन्दी कर देने एवं उनको उसके एक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते किये गयें। प्रतिवादीगण सं. 01 से 12 को बार बार, रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनस् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र PW1 व दिनेश का साक्ष्य शपथ पत्र PW2 पेश किया, शा.मि. है, प्रदर्श करवाये गए। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण के खसरा संख्या 676, 676/2, 682 व 683 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा कर तरमीम करने का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी ग्राम जैतारण सम्वत् 2077-2080 के अनुसार खसरा संख्या 676 रकबा 8.3608 हैक्टर, खसरा संख्या 676/2 रकबा 2.1853 हैक्टर, खसरा संख्या 682 रकबा 0.0647 हैक्टर तथा खसरा संख्या 683 रकबा 10.6594 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने-अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को अपना हक हिस्सा पृथक करवाने का कानूनी अधिकार होता है अतः हस्तगत वादपत्र को स्वीकार कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने हेतू प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 676 रकबा 8.3608 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 676/2 रकबा 2.1853 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 683 रकबा 10.6594 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 21.2702 हैक्टेयर की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested

ग्रवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/190 दिनांक 23/02/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./22/1772 दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विंभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 676 रकबा 8.3608 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 676/2 रकबा 2.1853 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 683 रकबा 10.6594 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 21.2702 हैक्टेयर की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म
1.	कचराराम पुत्र मदनलाल 1/2 दिनेश कुमार पुत्र मदनलाल 1/2 कौम माली सा.देह खातेदार	676/6	0.3961	चा.दो.
		676/2	0.0569	चा.दो.
		676/12	0.3642	चा.दो.
		683/4	0.3480	चा.दो.
		683/10	0.4937	चा.दो.
2.	बाबुलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/7	0.4694	चा.दो.
		676/3	0.0405	चा.दो.
		676/13	0.3642	चा.दो.
		683/5	0.3480	चा.दो.
		683/11	0.4937	चा.दो.
3.	सोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/8	0.5099	चा.दो.
		676/4	0.3642	चा.दो.
		683/2	0.3480	चा.दो.
		683/8	0.4937	चा.दो.
4.	पेमाराम पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/9	0.5099	चा.दो.
		676/15	0.3642	चा.दो.
		683/3	0.3480	चा.दो.

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested

		683/9	0.4937	चा.दो.
5.	बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/10	0.5099	चा.दो.
		676/16	0.3642	चा.दो.
		683/6	0.3480	चा.दो.
		683/14	0.4937	चा.दो.
6.	लालाराम पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा.देह खातेदार	676/11	0.5099	चा.दो.
		676/17	0.3642	चा.दो.
		683/7	0.3480	चा.दो.
		683/13	0.4937	चा.दो.
7.	सोहनलाल 1/6 बंशीलाल 1/6 लालाराम 1/6 पेमाराम 1/6 बाबूलाल 1/6 पिता चुन्नीलाल, कचराराम दिनेश कुमार पिता मदनलाल 1/6 कौम माली सा. देह खातेदार	683/12	0.1294	चा.दो.
8.	भागीरथ पुत्र पोकरराम कौम माली सा. देह खातेदार	683/5	0.0569	चा.दो.
9	भीकाराम ढगलाराम पिता परबूराम अणची देवी पत्नी जयराम रमेश मनीषा पिता जयराम ना. बा. वली माता अणचीदेवी रामलाल चन्द्रप्रकाश ओमप्रकाश पिता लादुराम गोगीदेवी पत्नी लादुराम बिडदराम जोगाराम पिता भानाराम खेमाराम दोलाराम बाबूलाल पिता कालूराम कमली तुलछाई भंवराई देवी पुत्रीया कालुराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार	676/4	2.0879	चा.दो.
		676/18	2.9219	चा.दो.
		676/20	0.2270	चा.दो.
		683	5.1799	चा.दो.
10	खता जमाबंदी बद.	676/19	0.0647	चा.दो.
		682	0.0647	गै.मु.बेरा
		683/1	0.2999	चा.दो.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/04/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-:: वादीगण :- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण :-**

वादीगण:

1. कचराराम पुत्र मदनलाल
2. दिनेश पुत्र मदनलाल
3. पेमाराम पुत्र चुन्नीलाल
4. बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल
5. बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल
6. लालाराम पुत्र चुन्नीलाल
7. सोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल
   जाति- माली, निवासी-जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

प्रतिवादीगण:

1. अणचीदेवी पत्नी जयराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लादूराम
3. कालूराम पुत्र भानाराम फौत के का.मु.
   3/1. खेमाराम पुत्र कालूराम
   3/2. दोलाराम पुत्र कालूराम
   3/3 बाबूलाल पुत्र कालूराम
   3/4 भंवराई पुत्र कालूराम
   3/5 तुलछाई पुत्री कालूराम
4. गोगीदेवी पत्नी लादूराम
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र लादूराम
6. जोगाराम पुत्र भानाराम
7. ढगलाराम पुत्र प्रभुराम
8. मनीषा पुत्री जयराम
9. रमेश पुत्र जयराम
10. बिडदराम पुत्र भानाराम फौत के का.मु
    10/1. माडकी देवी बेवा बिड़दराम
    10/2. किशन पुत्र बिड़दराम
    10/3. भीयाराम पुत्र बिड़दराम
    10/4. केलकी पुत्री बिड़दराम
    10/5. कमली पुत्री बिड़दराम
11. भीकाराम पुत्र प्रभूराम
12. रामलाल पुत्र लादूराम जाति सीरवी निवासी बेरा बावड़ी ग्राम डुनावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली
13. राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर तहसीलदाज जैतारण
14. पटवारी महोदय, पटवारी हल्का जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 98/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 676 रकबा 8.3608 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 676/2 रकबा 2.1853 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 683 रकबा 10.6594 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 21.2702 हैक्टेयरकी भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म
1.	कचराराम पुत्र मदनलाल 1/2 दिनेश कुमार पुत्र मदनलाल 1/2 कौम माली सा.देह खातेदार	676/6	0.3961	चा.दो.
		676/2	0.0569	चा.दो.
		676/12	0.3642	चा.दो.
		683/4	0.3480	चा.दो.
		683/10	0.4937	चा.दो.
2.	बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/7	0.4694	चा.दो.
		676/3	0.0405	चा.दो.
		676/13	0.3642	चा.दो.
		683/5	0.3480	चा.दो.
		683/11	0.4937	चा.दो.
3.	सोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/8	0.5099	चा.दो.
		676/4	0.3642	चा.दो.
		683/2	0.3480	चा.दो.
		683/8	0.4937	चा.दो.
4.	पेमाराम पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/9	0.5099	चा.दो.
		676/15	0.3642	चा.दो.
		683/3	0.3480	चा.दो.
		683/9	0.4937	चा.दो.
5.	बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	676/10	0.5099	चा.दो.
		676/16	0.3642	चा.दो.
		683/6	0.3480	चा.दो.
		683/14	0.4937	चा.दो.
6.	लालाराम पुत्र चुन्नीलाल कौम माली सा.देह खातेदार	676/11	0.5099	चा.दो.
		676/17	0.3642	चा.दो.
		683/7	0.3480	चा.दो.
		683/13	0.4937	चा.दो.
7.	सोहनलाल 1/6 बंशीलाल 1/6 लालाराम 1/6 पेमाराम 1/6 बाबूलाल 1/6 पिता चुन्नीलाल, कचराराम दिनेश कुमार पिता मदनलाल 1/6 कौम माली सा. देह खातेदार	683/12	0.1294	चा.दो.
8.	भागीरथ पुत्र पोकरराम कौम माली सा. देह खातेदार	683/5	0.0569	चा.दो.
9	भीकाराम ढ्गलाराम पिता परबूराम अणची देवी पत्नी जयराम रमेश मनीषा पिता जयराम ना. बा. वली माता अणचीदेवी रामलाल चन्द्रप्रकाश ओमप्रकाश पिता लादुराम गोगीदेवी पत्नी लादुराम बिडदराम जोगाराम पिता भानाराम खेमाराम दोलाराम बाबूलाल पिता कालूराम कमली तुलछाई भंवराई देवी पुत्रीया कालुराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार	676/4	2.0879	चा.दो.
		676/18	2.9219	चा.दो.
		676/20	0.2270	चा.दो.
		683	5.1799	चा.दो.
10	खता जमाबंदी बद.	676/19	0.0647	चा.दो.
		682	0.0647	गै.मु.बेरा
		683/1	0.2999	चा.दो.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested

काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28/04/2022** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला–पाली

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	02–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	05–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	09–00	मिजानः–	—Nil—

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:46 IST
Reason: SelfAttested